



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार।

Email :: sewaone01@gmail.com

संख्या: 89/78/03/डी0आर0(व्यवस्था0)/सेवा-1/2022-2023

दिनांक:- 22 जुलाई, 2024

अनर्हता सूची

व्यवस्थाधिकारी (राज्य सम्पत्ति विभाग) परीक्षा-2023

एतद्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि व्यवस्थाधिकारी (राज्य सम्पत्ति विभाग) परीक्षा-2023 के अंतर्गत राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी के कुल 07 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या:: A-1/DR(M.O)/S-1/2023, दिनांक 29 अगस्त, 2023 प्रकाशित किया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 03 मार्च, 2024 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का परीक्षा परिणाम दिनांक 13 मई, 2024 को घोषित किया गया।

स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में औपबधिक रूप से सफल घोषित किए गये अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति संख्या: 39/78/03/ डी0आर0(व्यवस्था0)/सेवा-1/2022-2023, दिनांक 14 मई, 2024 के माध्यम से दिनांक 22 मई, 2024 को आयोग कार्यालय में अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरांत निम्नांकित अभ्यर्थियों को मा0 आयोग द्वारा उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित कारण से अनर्ह घोषित किया गया है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	अनर्हता का कारण
1	SANSKRITI SUYAL	300010	संगत सेवा नियमावली एवं प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत 'डिप्लोमा इन कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट' धारित न करने के कारण अनर्ह।
2	SURAJ KUMAR CHANDEL	300014	संगत सेवा नियमावली एवं प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत 'डिप्लोमा इन कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट' धारित न करने के कारण अनर्ह।
3	MANOJ KUMAR	300041	संगत सेवा नियमावली एवं प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत 'डिप्लोमा इन कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट' धारित न करने के कारण अनर्ह।
4	BHANU PUROHIT	300050	संगत सेवा नियमावली एवं प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत 'डिप्लोमा इन कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट' धारित न करने के कारण अनर्ह।
5	RAHUL ARYA	300067	संगत सेवा नियमावली एवं प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत 'डिप्लोमा इन कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट' धारित न करने के कारण अनर्ह।

23	KARAMVEER	300213	अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन की तिथि 22.05.2024 एवं तददिवस को भरे गये अभिवाचन पत्र के क्रम में अभिलेख उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 29.05.2024 तक वांछित अभिलेख (डिप्लोमा की अंकतालिकाएं एवं प्रमाणपत्र) उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह ।
----	-----------	--------	--

उक्तानुसार अनर्ह घोषित अभ्यर्थी दिनांक 06 अगस्त, 2024 (मंगलवार) तक अपना प्रत्यावेदन डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से (कार्यदिवस-सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक अनुभाग के काउन्टर पर जमा करा सकते हैं। प्रत्यावेदन के साथ अपने दावे की पुष्टि हेतु वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर मा0 आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

Sd/-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।